08-05-2024

ZEE राजस्थान

TATA PLAY	airtel	dishtv	hathway	DEN	FM Radiant	D2H
1177	336	727	785	331	333	843

जिले की सभी स्कूलों में अगले 3 दिन रहेगा अवकाश

जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या ने घोषित किया स्कूलों में अवकाश, कक्षा 1 से 8 तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में रहेगा अवकाश, 9 मई से 11 मई तक सिर्फ विद्यार्थियों का रहेगा अवकाश, शिक्षकों को आना होगा स्कूल, मौसम विभाग के हीट वेव के अलर्ट के बाद जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने जारी किए निर्देश

BREAKING NEWS

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

क्रमांकः सामान्य/अव0/आर–1/जे–15/2024/3746 **दिनांकः 08/05/2024**

–:आदेश:–

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/मा–स/शीतलहर/लू(60)/2013–24/71 दिनांक 07.05.2024 के अनुसार जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए जिले में **समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों का विद्यालय समय सत्रांत तक 11:00 बजे तक किया जाता हैं।** विद्यालय का संचालन यथावत रहेगा जिसमें कर्मचारी अपने–अपने बकाया कार्यों का निष्पादन करेंगें। जिले में समस्त संस्था प्रधानों को पाबंद किया जाता हैं कि वे इस आदेश की पालना अक्षरक्षः करना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर
दौसा

क्रमांकः सामान्य/अव0/आर–1/जे–15/2024/ 3747–3850 **दिनांकः 08/05/2024**

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक दौसा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा/विकास अधिकारी समस्त............... दौसा।
5. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार समस्त..............................दौसा।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक दौसा को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
8. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त..................... जिला दौसा को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
9. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, दौसा।
10. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर, दौसा/अति0 जिला कलक्टर लालसोट।
11. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर
दौसा

RajKaj Ref
7053164

Document certified by Devendra Kumar <devendrathekumar@gmail.com>.

Digitally Signed by DEVENDRA KUMAR
Designation: Collector & District Magistrate
Date :08-05-2024 04:22:36

D:\kuldeep\election\1 PH. NO. 01427-224666, 223884 FAX: 223666 Room No. 224 Collec[illegible] 303303
E- mail dm-dau-rj@nic.in adm-dau-rj-@nic.in [illegible]ctorate[illegible]gmail.com

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राजस्थान)

क्रमांक एफ.40( )ग्रीष्म/आ0प्र0सहा./2024/574 दिनांक :– 08.05.2024

–: आदेश :–

मौसम विभाग तथा अध्यक्ष महोद्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं राजस्थान जयपुर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जारी एडवाईजरी के आधार पर जिले में दिनांक 09.05.2024 से 11.05.2024 तक लू–ताप की सम्भावना को देखते हुए जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गर्मी व लू–ताप के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः मैं डॉ0 अमित यादव जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण भरतपुर, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये भरतपुर जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रो हेतु दिनांक 09.05.2024 एवं 11.05.2024 (दिनांक 10.05.2024 को पूर्व घोषित परशुराम जयन्ती राजपत्रित अवकाश) का अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल छात्रों के लिये लागू होगा शेष स्टाफ यथावत कार्य करेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वें इस आदेश की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान निर्धारित समय के पश्चात विद्यालय संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
भरतपुर

क्रमांक एफ.40( )ग्रीष्म/आ0प्र0सहा./2024/575-620 दिनांक :– 08.05.2024

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक भरतपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सेवर/उच्चैन/रूपवास/बयाना/भुसावर/वैर/नदबई को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. पीईईओं/यूसीईईओं ....।
5. समस्त संस्था प्रधान राजकीय/निजी को पालनार्थ।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी भरतपुर।
7. रक्षित प्रति।

RajKaj Ref
7036904

जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
भरतपुर

Document certified by AMIT YADAV
DRAMITYADAV23907@GMAIL.COM
Designation : Collector & District Magistrate
Date :08-05-2024 01:32:01

कार्यालय जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ।

क्रमांकः क.अ./अज/विकास/शिक्षा/2024/19 दिनांकः–08.05.2024

–:: आदेश ::–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांकः शिविरा/माध्य/मा–स/शीतलहर/लू(60)/2013–24 दिनांक 07.5.2024 द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालयों का संचालन का समय परिवर्तन करने के क्रम में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को अधिकृत किया गया है। अजमेर जिले में वर्तमान गत दिनों में गर्मी व लू का प्रकोप बढा है। आगामी दिनों में अत्यधिक गर्मी एवं लू के बढते प्रकोप की संभावना को देखते हुए एवं बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अजमेर जिले में संचालित समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों (सीबीएसई सहित समस्त विद्यालय) जहां वर्तमान में शैक्षणिक सत्र संचालित है, में दिनांक 09.05.2024 से कक्षा– 01 से 12 तक की कक्षाओं के संबंध में यह सुनिश्चित करावें की उक्त कक्षाएं दोपहर 12.00 बजे के पश्चात किसी भी स्थिति में संचालित ना हो। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें। सभी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश शिविरा पत्रिका के अनुसार 17 मई, 2024 से यथावत रहेगा ।

उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

जिला कलक्टर
अजमेर

क्रमांकः क.अ. विकास/शिक्षा/2024/4253 दिनांकः– 08.05.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

01– श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
02– संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर ।
03– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अजमेर ।
04– क्षेत्रिय निदेशक, सीबीएसई, अजमेर को पालना सुनिश्चित कराने हेतु ।
05– जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक, मुख्यालय, अजमेर ।
06– समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला– अजमेर ।
07– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/निजी विद्यालयों (सीबीएसई सहित समस्त विद्यालय)
08– रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर
अजमेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर ग्रामीण

क्रमांक :– जिशिअ / मुख्या–मा.शि / जोध. / सामान्य. / 2024 / 470 दिनांक :– 08.05.2024

–:कार्यालय आदेश:–

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के पत्रांक शिविरा / माध्य / मा–स / शीतलहर / लू(60) / 2013–14 / 71 दिनांक 07.05.2024 एवं जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण के पत्रांक 231 दिनांक 08.05.2021 के निर्देशानुसार भीषण गर्मी को देखते हुए समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों का विद्यालय समय सत्रांत तक 11.00 बजे तक किया जाता है, विद्यालय का संचालन यथावत रहेगा जिसमें कर्मचारी अपने–अपने बकाया कार्यो का निष्पादन करेगें। जिले के समस्त संस्थाप्रधनों को पाबन्द किया जाता है कि वे इस आदेश की पालना अक्षरक्षः करना सुनिश्चित करें।

(पुरूषोत्तम राजपुरोहित)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर ग्रामीण

क्रमांक:–जिशिअ / मुख्या–मा.शि / जोध. / सामान्य. / 2024 / 470 दिनांक :– 08.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण।
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक (स्कुल शिक्षा) जोधपुर संभाग जोधपुर।
4. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जोधपुर ग्रामीण।
6. समस्त पीईईओ / संस्थाप्रधान जोधपुर ग्रामीण।
7. रक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर ग्रामीण

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)

<u>आदेश</u>

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के पत्रांक शिविरा /माध्य/मा–स/शीतलहर/ लू(60)/2013–14/71, दिनांक 07.05.2024 के अनुसार जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए में समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों का विद्यालय समय सत्रांत तक 11.00 बजे तक किया जाता है, विद्यालय का संचालन यथावत रहेगा जिसमें कर्मचारी अपने अपने बकाया कार्यो का निष्पादन करेगें। जिले के समस्त संस्थाप्रधानों को पाबन्द किया जाता है कि वे इस आदेश की पालना अक्षरक्षः करना सुनिश्चित करें।

गौरव अग्रवाल
जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)

क्रमांकः 231 दिनांक– 08.05.2024

<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–</u>

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक जोधपुर ग्रामीण।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा............. जोधपुर ग्रामीण।
6. समस्त पीईईओ/संस्थाप्रधान.............. जोधपुर ग्रामीण।
7. रक्षक पंजिका।

जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

RajKaj Ref
7034688

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2024.05.08 11:54:59 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
www.kota.rajasthan.gov.in

क्रमांकः विकास / 2024 / 709 दिनांकः 8-05-2024

-आदेश-

कोटा जिले में भीषण गर्मी को देखते हुये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा / माध्य / मा-स / शीतलहर / लू(60) / 2013-24 / 71 दिनांक 07.05.2024 के अनुसार जिले मे संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के संचालन का समय तुरन्त प्रभाव से प्रातः 07:30 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक किया जाता है एवं विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का समय पूर्व की भांति रहेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा।

जिला कलक्टर
कोटा

क्रमांकः विकास / 2024 / 709 दिनांकः 8 -05-2024

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1-निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा बीकानेर
2-संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा
3-जिला पुलिस अधीक्षक नगर / ग्रामीण कोटा
4-मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा
5-जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारंभिक कोटा
6-उपखंड अधिकारी कोटा / दीगोद / इटावा / सांगोद / कनवास / रामगंजमंडी
7-मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी कोटा / लाडपुरा / सांगोद / इटावा / खैराबाद / सुल्तानपुर
8-उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग कोटा को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

जिला कलक्टर
कोटा

RajKaj Ref
7039652

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra Goswami
Designation : Collector & District Magistrate
Date :08-05-2024 01:01:45

कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर

क्रमांकः– 102 दिनांकः– 08.05.2024

–::आदेश::–

जिले में भीषण गर्मी एवं लू–ताप की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए जिले के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में संचालित कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गर्मी व लू–ताप के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अति–आवश्यक है।

अतः नागौर जिले के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों हेतु दिनांकः– 09.05.2024 से 16.05.2024 तक विद्यालय का समय परिवर्तन कर प्रातः 07 बजे से 10 बजे तक किया जाता है। यह समय परिवर्तन कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु लागू होगा शेष स्टाफ यथावत कार्य करेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेगें।

जिला कलेक्टर
नागौर

क्रमांकः– 103 दिनांकः– 08.05.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नागौर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय,माध्यमिक/प्रारंभिक नागौर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त, जिला–नागौर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. पीईईओ/यूसीईईओ।
5. समस्त संस्था प्रधान राजकीय/निजी को पालनार्थ।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी नागौर।
7. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर
नागौर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/शिक्षा/2024/30457 दिनांक 08/05/2024

–: आदेश :–

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश कमांकः शिविरा –माध्य/मा–स/शीत लहर/लू0(60)/2013–24/71 दिनांक 07.05.2024 के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिले में भीषण गर्मी लू (हीट वेव) को देखते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से विचार विमर्श उपरान्त जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयो के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों (कक्षा 8 तक) का विद्यालय समय प्रातः 7.30 बजे से 11.30 बजे तक अग्रिम आदेश/सत्रांक तक के लिए किया जाता है।

उक्त समय परिवर्तन केवल कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उक्त आदेशों की पालना समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों में सुनिश्चित करावें।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल शिक्षा राजस्थान,जयपुर
2. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3. निदेशक,माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,बीकानेर
4. संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा,उदयपुर संभाग,उदयपुर
5. संभागीय आयुक्त महोदय,उदयपुर
6. जिला पुलिस अधीक्षक,भीलवाड़ा
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
8. समस्त उपखण्ड अधिकारी,जिला भीलवाड़ा
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा
10. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक,भीलवाड़ा

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

RajKaj Ref
7038681

Signature valid
जिला कलक्टर
Digitally signed by Namit Mehta
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.05.08 12:42:59 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

क्रमांकःप.40( )(1)सामान्य/2024/ दिनांक –

–: आदेश :–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–स/शीतलहर/लू(60)/2013–24/71 (राजकाज रेंफ–7018634) दिनांक 07.05.2024 के क्रम में बाड़मेर जिले में भीषण गर्मी/हीट वेव के मौसम को देखते हुए बाड़मेर जिले के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में दिनांक 09.05.2024 से 10.05.2024 तक कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता हैं। साथ ही सत्रांत तक उक्त कक्षाओं का समय प्रातः 7:30 बजे से 11:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। परीक्षाएं यथावत समय पर संचालित होती रहेगी।

यह आदेश केवल विद्यार्थियों के लिए ही लागू रहेगा, अध्यापकगण पूर्व निर्धारित समय के अनुसार विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर,बाड़मेर

क्रमांकःप.40( )(1)सामान्य/2024/ दिनांक :–

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राज.जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर।
5. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला बाड़मेर ।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा बाड़मेर को भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर पर समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित कर पालना सुनिश्चित करे।
7. शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि/प्रा.शि. बाड़मेर को पालनार्थ।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला बाड़मेर को पालनार्थ।
9. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाड़मेर।
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर को स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करवाने हेतु प्रेषित है।
11. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अपर कलक्टर बाड़मेर।
12. कार्यालय रक्षित पत्रावली।

अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

RajKaj Ref
7055398

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

—:आदेश:—

राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों का सत्रांत तक विद्यालय समय परिवर्तन किये जाने हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक जैसलमेर द्वारा निवेदन किया गया है।

अतः जैसलमेर जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय का समय सत्रांत (16 मई 2024) तक प्रातः 07:30 से 11:00 AM तक किया जाता है। विद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिक अपने निर्धारित पूर्ववत विभागीय समयानुसार विद्यालय में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करेगें।

इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

8/5/24
जिला कलक्टर,
जैसलमेर

क्रमांक : जिशिअ/प्रार./जैसल/शैप्र/समय परि./2024/2680-87 दिनांक :— 08/05/2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग जोधपुर, जोधपुर।
4. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर ।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जैसलमेर ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक जैसलमेर ।
7. उपनिदेशक जिल जनसम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर ।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला जैसलमेर को पालना सुनिश्चित करवाने हेतु ।
9. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)

क्रमांकः– 1868

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/मा–स/शीतलहर/लू(60)/2023–24/71 दिनांक 07.05.2024 के निर्देशानुसार भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, चूरू द्वारा की गई अभिशंषा पर चूरू जिले के समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 09.05.2024 से सत्रांत तक विद्यालयों का समय प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 10.30 बजे तक किया जाता है। शिक्षकों एवं संचालित अन्य कक्षाओं (कक्षा 9 से 12 तक) का समय एवं विद्यालय में संचालित अन्य गतिविधिया यथावत रहेगी। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(पुष्पा सत्यानी)
जिला कलक्टर
चूरू

क्रमांकः– 1868

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है–

1. श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू संभाग चूरू।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, चूरू
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रा.शि./मा.शि. चुरू को आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा चूरू प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
6. समस्त संस्था प्रधान राजकीय एवं निजी विद्यालय जिला चूरू।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
चूरू

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

RajKaj Ref
7052959

Document certified by PUSHPA SATYANI <DM-CHU-RJ@NIC.IN>.
Digitally Signed by Pushpa Satyani
Designation : Collector & District Magistrate
Date :08-05-2024 05:12:49

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

कार्यालय आदेश

झुंझुनूं जिले में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों का समय परिवर्तन दिनांक 09.05.2024 से सत्रांत तक 7:30 बजे से 11:00 बजे तक किया जाता है। समस्त विद्यालयों में शिक्षक/कार्मिक विभागीय समयानुसार उपस्थित रहेगें। संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

क्रमांक एफ ( )( ) सामान्य/2024/4369
दिनांकः– 08-05-2024

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. संभागीय आयुक्त सीकर संभाग, सीकर।
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू संभाग चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, झुंझुनूं।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, झुंझुनूं।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला झुंझुनूं।
7. प्रधानाध्यापक राजकीय/निजी शिक्षण संस्थान———।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, झुंझुनूं।
9. कार्यालय प्रति।

08.5.2024
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा झुंझुनू

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते
Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली (राज0)

क्रमांक　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक

—: कार्यालय आदेश :—

श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमाकः शिविरा—माध्य/मा—स/शीतलहर/लू(60)/2013—24/71 दिनांक 07.05.2024 के क्रम में जिले मे चल रही हीट वेव के कारण समस्त राजकीय व गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिनांक 09.05.2024 से दिनांक 11.05.2024 तक कक्षा 8 तक का अवकाश घोषित किया जाता है तथा कक्षा 9 से 12 तक के विधार्थियों का विद्यालय समय प्रातः 11:30 तक रहेगा।

शिक्षको एवं अन्य प्रशासनिक कार्यो हेतु विद्यालय संचालन का समय यथावत रहेगा। इन निर्देशो की अवहेलना करने वाले राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयो के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

जिला कलक्टर
करौली

क्रमांकः—　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक :—

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. श्रीमान निदेशक महोदय मा0/प्रा0 शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्री संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करौली।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मु0 प्रा0/मा0 करौली।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला करौली।
6. समस्त संस्थाप्रधान राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय जिला करौली।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
करौली

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

RajKaj Ref
7042030

Signature valid
Digitally signed by Ne[illegible]abh Saxena
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.05.0[illegible]4:22:37 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी (राज0)

क्रमांक प.6(24) (6)विकास / शिक्षा / 2023 / 1538 दिनांक–08.05.2024

–:आदेश:–

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / मा–स / शीतलहर / लू (60) / 2013–24 / 71 दिनांक 07.05.2024 के सन्दर्भ में जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनरूप मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, गंगापुर सिटी की अभिशंषा पर जिले में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों (समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालय) का दिनांक 09.05.2024 एवं 11.05.2024 का अवकाश घोषित किया जाता है। इस अवधि में शिक्षक व अन्य स्टाफ नियमित रूप से विद्यालय समय पर उपस्थित रहते हुए विद्यालय के कार्यो को संपादित करेंगे।

(डॉ. गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

क्रमांक प.6(24) (6)विकास / शिक्षा / 2023 / 1539–59 दिनांक–08.05.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, गंगापुर सिटी।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक / प्रारम्भिक, गंगापुर सिटी।
7. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जिला गंगापुर सिटी।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला गंगापुर सिटी।
9. समस्त पीईईओ / यूसीईईओ / प्रधानाचार्य / संस्थाप्रधान निजी एवं राजकीय विद्यालय, जिला गंगापुर सिटी को पालनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

RajKaj Ref
7064087

Document certified by GAURAV SAINI
<SAINIGAURAV099@GMAIL.COM>.
Digitally Signed by GAURAV SAINI
Designation : Collector & District Magistrate
Date :08-05-2024 06:58:25